न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2022/ 1323 दिनांक 20/06/2022

प्रार्थी :-

1.फूसाराम पुत्र कुम्भाराम, जाति जाट निवासी बीजराड़, तहसील चौहटन

विप्रार्थीगण:-

1. किशनाराम पुत्र कुंभाराम 2.कलाराम पुत्र लाखाराम 3.प्रहलादराम पुत्र सोनाराम 4.बांकाराम पुत्र चुतराराम 5.खेताराम पुत्र रतनाराम, जाति जाट, निवासी बीजराड़, तहसील चौहटन

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम
वास्ते करने नेखमबंदी बाबत |

राजस्व आवेदन सं. 15/2019 दिनांक : **20.06.2022**

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र बीजराड़ के मौजा बीजराड़ के खेत खसरा सं. 912/221 रकबा 12.07 बीघा एवं खसरा सं. 913/221 रकबा 71.13 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है| उक्त विवादित भूमी की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमी की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करे|

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात न हों| आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है | प्रार्थी कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे|

उपखण्ड अधिकारी,
चौहटन

क्रमांक/भू.अ./2022/ 1324 to 1327 दिनांक 20/06/2022

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थी फूसाराम
3. विप्रार्थीगण किशनाराम वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2022.09.21 12:22:47 IST
Reason: SelfAttested

(भागीरथ राम)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन